न्यायालय अपील अधिकारण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या 09/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– प्रेमसिंह परिहार पुत्र छैलाराम परिहार जाति माली निवासी मगरा पूंजला एस.बी.आई. बैंक के पास, जोधपुर।		1– मोहनसिंह पुत्र प्रेमसिंह परिहार जाति माली निवासी गांव आंगणवा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के पास, आंगणवा मण्डोर, जोधपुर। 2– शिवाराम पुत्र प्रेमसिंह परिहार जाति माली निवासी मगरा पूंजला, एस.बी.आई. बैंक के पास, मण्डोर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक दिनांक 13.04.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर उत्तर द्वारा प्रकरण सं0 27/2021 प्रेमसिंह बनाम मोहनसिंह व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीयी स्वयं
2– प्रत्यर्थीपक्ष 1 व 2 स्वयं।

आदेश दिनांक 05.04.2023

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि अपीलांट/प्राथी ने अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी उत्तर) जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अ/धा 5 सपठित धारा 22(2) व 23,, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 बाबत् प्रार्थी की नीजि आवासीय जायदाद

लगातार.....

अपील अधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जसवन्तसागर, मण्डोर जोधपुर स्थित को वापिस प्राप्त करने के लिए विरूद्ध अप्रार्थीपक्ष /प्रत्यथीगण के प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकरण ने सुनवाई कर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए भरण पोषण के रूप में प्रत्येक अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिमाह 1500/– रू., 1500/– रूपये प्रार्थी/अपीलार्थी को देने, प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार बनाये रखने, मारपीट, गाली गलौच नहीं करने का आदेश दिनांक 13.04.2022 को दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील दर्ज (09/2022) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष 1 व 2 दिनांक 04.01.2023 को अजखुद उपस्थित होकर जबाब अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 18.01.23 एवं प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से दिनांक 08.02.2023 को लिखित बहस प्रस्तुत हुई, जो सामिल पत्रावली की गई।

अपीलार्थी ने बहस में बतलाया कि प्रत्यर्थीपक्ष, अपीलार्थी के पुत्र है तथा अप्रार्थी पुत्रो ने प्रार्थी की पूर्व की आवासीय जायदाद से छः वर्ष पूर्व बलपूर्वक बाहर निकाल दिया, तब से प्रार्थी **ऊं नमः शिवाय रामप्याऊ नारायण हरि**, मगरा पूंजला वाली ईमारत में अकेला ही निवास कर रहा है। अप्रार्थीगण के अलावा प्रार्थी का एक पुत्र और है जिसका नाम सम्पतसिंह है यह पुत्र प्रार्थी के लिये सुबह शाम का खाना पहुंचाता है व अन्य तरह की सेवा चाकरी करता रहा है। बहस में आगे कहा कि प्रार्थी ने अपने नाम से जारी पट्टा की आवासीय जायदाद जो जसवंत सागर बांध मण्डोर में आई हुई है स्नेहवश अप्रार्थी मोहनसिंह को सुपुर्द की थी फिर भी अप्रार्थी मोहनसिंह प्रार्थी को तंग परेशान करता रहता है। अप्रार्थी मोहनसिंह ने योजना बनाकर प्रार्थी की बेटियां सुनीता व कंचन को प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 149 मौजा आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर वाली का एक राजस्व वाद वास्ते बंटवाड़ा का पेश किया गया। इस दावा के कारण प्रार्थी को मानसिंक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थी ने भरण पोषण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष भरण पाषण के लिए प्रत्येक अप्रार्थीगण से 5000/– , 5000/– रूपये गुजारा भत्ता राशि दिलाने एवं जसवंत सागर बांध मंडोर में प्रार्थी के नाम से आवंटन सुदा आवासीय जायदाद का वास्तविक कब्जा अप्रार्थी मोहनसिंह को बेदखल कर दिलाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

बहस में आगे कहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रार्थी को भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह 1500/– 1500/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण द्वारा देने का आदेश दिया गया, साथ ही प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार बनाये रखने, मारपीट, गाली गलौच न करने का आदेश दिया गया। बहस में यह भी कहा कि आवासीय जायदाद जसवंत सागर मण्डोर का पट्टा नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 04.10.2002 विक्रय पत्र सं0 909 प्रार्थी के नाम जारी किया, इस जायदाद को स्नेहवश प्रार्थी ने अप्रार्थी मोहनसिंह को आठ वर्ष पूर्व कब्जा सौपा। चूंकि अप्रार्थी मोहनसिंह ने पिता पुत्र का संबंध ही तोड़ दिया है इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी मोहनसिंह को इस जायदाद का उपयोग उपभोग करने की अनुमति वापिस ले ली है इसलिए प्रार्थी की इच्छा के विरूद्ध अप्रार्थी मोहनसिंह प्रार्थी की निजी जायदाद का उपयोग उपयोग.करने का अधिकार नहीं रखता है, इस बाबत् अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आदेश में उक्त मांग

लगातार....

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

के संबंध में कोई राय ही जारी नहीं की। बहस में 2013(3) CCC 119 गुजरात हाईकोर्ट, 2018(4) CCC 687 राजस्थान हाईकोर्ट, 2016(3) CCC 668 पंजाब एवं हरयाणा हाईकोर्ट, 2016 Suppl. CCC 05 पंजाब एवं हरयाणा हाईकोर्ट एवं 2018(2) CCC 658 कलकटा हाईकोर्ट, द्वारा दिये गये न्याय निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जसवंत सागर मण्डोर जोधपुर स्थित जायदाद का वास्तविक कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस में बतलाया कि अपीलांट के तीन पुत्र है जिनमें रेस्पो. के अलावा एक पुत्र सम्पतसिंह है जिसके साथ अपीलांट पुश्तैनी एवं खरीदसुदा सम्पति का उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। रेस्पो.पक्ष ने कभी भी पिता से रिश्ता नहीं तोड़ा गया व अपीलार्थी के पुत्र सम्पतसिंह रेस्पो. संख्या–1 के हिस्से में ही रह रहा है तथा सम्पतसिंह के हिस्से वाली जगह पर अपीलार्थी ने फेक्ट्री व दो दुकाने बना दी है जिसका किराया प्रतिमाह सम्पतसिंह व अपीलार्थी को ही प्राप्त हो रहा है। बहस में यह भी कहर कि रेस्पो. 1 की माता सुशीलादेवी व बहन कंचन दो भाणजे– देव कच्छावाह, हर्षित उसके साथ रह रहे है तथा हिन्दू रीति रिवाज के तहत जो पुत्रीयों का हक बनता है जो पिता द्वारा कभी भी निर्वाहन नहीं किया गया, जिसका समस्त खर्चे व निर्वहन रेस्पो.पक्ष–द्वारा ही किया जा रहा है। अपीलार्थी समाज व धर्म से संबंधित आयोजनों में डोनेशन करते है तथा अपीलार्थी की मासिंक आय 1.50, 2.00 लाखरूपये है। अपीलार्थी के स्वयं के दो बैंक खाते राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मगरा पूंजला जोधपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मगरा पूंजला जोधपुर है।

बहस में आगे कहा कि अपीलांट रेस्पो.–1 को बेचान किये गये भूखण्ड दिनांक 21.01.2006 के बेचान इकरारनामा राशि 65 हजार रूपये अपीलांट द्वारा प्राप्त कर ली गई है, परन्तु उक्त भूखण्ड के संबंध में बेचाननामा अपीलांट द्वारा आज दिन तक नहीं करवाया गया है। अपीलांट रेस्पो. को तंग व परेशान करने की नीयत से अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र व अपील पेश की गई। अन्त में अपील सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरणं से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। उक्त अधिनियम राजस्थानप में दिनांक 01.08.2008 को प्रभाव में आया तथा अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानानुसार वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पति किसी ऐसी शर्त के अनुसार अंतरित की हो कि अन्तरणी अन्तरक को मूल सुख–सुविधांए और मूल भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरिणी ऐसी सुख सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने में असफल होता है या मना कर देता है तो सम्पति का उक्त अन्तरण कपट या छल द्वारा या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया हुआ माना जायेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा व्यर्थ घोषित किया जायेगा, परन्तु प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीपक्ष के पक्ष में किसी प्रकार से उपहार के रूप में जायदाद का हस्तान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी का अपील में मुख्य रूप से उसकी निजी जायदाद विक्रय

लगातार...

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आंवटन पत्र संख्या 909 दिनांक 04.10.2002 वाके जसवंत सागर मण्डोर वाली जायदाद से प्रत्यर्थीपक्ष को बेदखल करवा कर वास्तविक खाली कब्जा दिलाने की इस्तदुआ की गई। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से से लिखित बहस के संलग्न दस्तावेजात यथा अपीलार्थी प्रेमसिंह ने प्रत्यर्थी– मोहनसिंह के पक्ष में दिनांक 24.01.2006 को जसवन्त सागर बांध के पास कब्जासुदा प्लॉट 65 फीट x 45 फीट भूमि का बेचान इकरारनामा किया था तथा रेस्पो.पक्ष के कथनानुसार अपीलार्थी/प्रार्थी ने बेचान ईकरारनामा के अनुसार रजिस्ट्री नहीं करवाई। अतः अपीलार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत 2013(3) CCC 119 गुजरात हाईकोर्ट, 2018(4) CCC 687 राजस्थान हाईकोर्ट, 2016(3) CCC 668 पंजाब एवं हरयाणा हाईकोर्ट, 2016 Suppl. CCC 05 पंजाब एवं हरयाणा हाईकोर्ट एवं 2018(2) CCC 658 कलकटा हाईकोर्ट, द्वारा दिये गये न्याय निर्णयों के तथ्य एवं प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य भिन्न भिन्न होने से गाह्य योग्य नहीं है। रेस्पो. पक्ष–एक के काथनानुसार उसके साथ उसकी माता, बहन एवं बहन के बच्चे रहते है तथा उनका का भरण पोषण भी वो करता है तथा इस कथन का अपीलार्थीपक्ष द्वारा खण्डन भी नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए प्रार्थी को भरण पोषण के रूप में 1500/– 1500/– रूपये प्रतिमाह देने एवं प्रार्थी के साथ गाली गलौच न करने, सद्व्यवहार बनाये रखने का आदेश पारित किया गया, उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त की जाण्ती है। उभयपक्ष अपना अपना खर्च वहन करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः अधीनस्थ अधिकरण को प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 05.04..2023 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)